

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती—2016

निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

Website : www.education.rajasthan.gov.in/tgtrecruitment

Email ID : aayukt.elc@gmail.com, niyukti.cle@gmail.com

विज्ञापन सं. 01 / 2016

दिनांक 06.07.16

फोन नं. (0151) 2207047

आवेदन की अंतिम तिथि 01.08.2016

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP) के लिए अध्यापकों के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति

- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक के प्रथम लेवल कक्षा 1 से 5 के लिये 6299 तथा द्वितीय लेवल कक्षा 6 से 8 के लिये 6045 कुल 12344 पदों पर सीधी भर्ती 2016 के लिये गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP) के लिए निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP) के अध्यापकों के पदों की रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र (TSP) सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे। गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP) की रिक्तियों का जिलेवार, लेवलवार एवं विषयवार विस्तृत विवरण विभाग की वेब साईट पर NON-TSP क्षेत्र की रिक्तियों का जिलेवार, लेवलवार एवं विषयवार विस्तृत विवरण विभाग की वेब साईट पर दिनांक 11-07-2016 से ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

सामान्य सूचना :- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती हेतु वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य होगा परन्तु राज्य रारकार के अधिसूचना क्रमांक (F.7(1)EE/Plan/2011) दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) अनिवार्य होगा, परन्तु अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई अरटेट 2011 के सम्बंध में उन्हें यह छूट देय नहीं होगी। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्ध Preference (प्राप्तिकर्ता) देनी होगी। अभ्यर्थियों को जिलेवार विकल्प सूची में शामिल होने के लिये गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP) के 31 जिलों की वरीयता दे सकते हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) 2015 एवं RTET 2011 व 2012 के तीनों वर्षों की परीक्षाओं के अधिकतम प्राप्तांकों के आधार पर राज्य स्तरीय मैरिट बनाई जायेगी।

विशेष नोट:-

- Online Application Form में वांछित समस्त सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा। ऑन लाईन आवेदन के पश्चात उस आवेदन के क्रम में आवेदित पद एवं आवेदित श्रेणी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा।
- विज्ञापित पदों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।

III आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम् नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी।

IV. एक बार औन लाईन आवेदन Submit होने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

V यदि कोई अम्यर्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक के प्रथम स्तर कक्षा I-V एवं द्वितीय स्तर कक्षा VI-VIII के लिए निर्धारित योग्यता धारित करता है तथा दोनों स्तरों के लिये आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक स्तर के पद हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क पृथक-पृथक जमा कराना होगा तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र भी पृथक-पृथक भरने होंगे। द्वितीय लेवल के लिये विषयवार पृथक-पृथक आवेदन मय पृथक-पृथक शुल्क भरना होगा।

पृथक्-पृथक् रुप्ता भरना हाज़िर।
नोट-अध्यापक द्वितीय लेवल के लिए अस्थर्धा जिस विषय हेतु आवेदन कर रहा है उस विषय में
राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) में पात्र होना आवश्यक है।

VI आवेदक द्वारा प्रथम स्तर में एक से ज्यादा आवेदन पत्र भरने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा। द्वितीय स्तर में एक विषय में एक से ज्यादा आवेदन पत्र भरने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा।

2. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक पद के लिए सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट www.education.rajasthan.gov.in/tgtrecruitment पर लिये जायेंगे, जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी को ई-मित्र कियोस्क पर निर्धारित तिथियों में आवेदन शुल्क + रूपये 5/- आवेदन शुल्क जमा करने का सेवा शुल्क जमा करना होगा। कियोस्क पर ही आवेदन पत्र भरवाने पर आवेदक को रूपये 20/- इस हेतु जमा करवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए अनुदेश व प्रपत्र उक्त 20/- इस हेतु जमा करवाना होगा। ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

3. जिलेवार रिक्त पद :- गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP) की रिक्तियों का जिलेवार, लेवलवार एवं विषयवार विस्तृत विवरण विभाग की वेब साईट www.education.rajasthan.gov.in/tgtrecruitment पर उपलब्ध है।

4. आरक्षण :- नियुक्ति के सम्बंध में आरक्षण का प्रावधान इस विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 8.2 पर उल्लेखित है।

5. वेतनमान :- राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2008 के नियम 21 के अनुसूची (iv) के अनुसार परीवीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक रूपये 13200/- देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा भकान किराया भत्ता, महगाई भत्ता, शहरी क्षति पूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परीवीक्षण अवधि में अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान पंचायती राज नियम एवं राजस्थान सेवा प्रशिक्षण अवधि में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष के परीवीक्षण प्रशिक्षण अवधि के नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष के परीवीक्षण प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन शृंखला का नियमित वेतनमान 9300/-34800 में ग्रेड पे 3600 देय होगा। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.01.2004 के अनुसार नयी भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेशन योजना का प्रावधान है।

6. अध्यापक पद पर सीधी भर्ती 2016 के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यताएँ

JB
6/2016

6.1 कक्षा 1 से 5 (स्तर-प्रथम) के लिए :-

A. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)।

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulation, 2002.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B.Ed.).

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Education (Special Education).

अथवा

स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)।

Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).

तथा

B. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती हेतु वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य होगा। परन्तु राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक F.7(1)EE/Plan/2011 प्रारंभिक 29.08.2012 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अनिवार्य होगा। अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2011 के सम्बंध में उन्हें यह छूट देय नहीं होगी।

6.2 कक्षा 6 से 8 (स्तर-द्वितीय) के लिए :-

A. स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।

Graduation and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.)

Graduation with at least 50% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.).

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

Graduation with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड.

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year B.A./B.Sc.Ed. or B.A. Ed./B.Sc.Ed.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) या एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा) Graduation with at least 50% marks and 1-year B.Ed. (Special Education).

तथा

B प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती हेतु वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य होगा। परन्तु राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक F.7(I)EE/Plan/2011 दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अनिवार्य होगा। अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2011 के सम्बंध में उन्हें यह छूट देय नहीं होगी।

विशेष नोट—अध्यापक द्वितीय लेवल के लिए अभ्यर्थी जिस विषय हेतु आवेदन कर रहा है उस विषय में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) में पात्र होना आवश्यक है।

6.3 अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम :— इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा मान्यता-प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता-प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरसीआई द्वारा विशेष शिक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम मान्य होगा परन्तु पाठ्यक्रम की अवधि व अध्यापक हेतु योग्यता एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार ही मान्य होगी।

6.4 विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण—

वह व्यक्ति, जिसने डी.एड (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6.5 (क) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 20.5.2011 के कम में स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(1)ई.ई./प्लान/2011 दिनांक 17 जून 2011 के अनुसार निम्न अभ्यर्थी भी राजस्थान प्रारंभिक एवं उच्च प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 में भाग लेने हेतु पात्र होंगे—

- (i) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 27.09.07 जारी होने से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, उन्हें स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की बाध्यता नहीं है।
- (ii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 27.9.07 जारी होने के बाद परन्तु अधिसूचना दिनांक 31.8.09 के जारी होने से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में


6/27/16

प्रवेश ले लिया था , उन्हें स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्त होने की बाध्यता है।


(iii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 31.8.09 के जारी होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था , उन्हें स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्त होने की बाध्यता है।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 27.11.2007 द्वारा जारी मानक एवं मानदण्डों के द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (कक्षा 1 से 5) के पदों पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं दिनांक 27.11.2007 से पूर्व न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) शैक्षिक अर्हता निर्धारित है।

- 6.6 बिन्दु सं 6 (1) व (2) में वर्णित योग्यता मापदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन के अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट देय होगी। वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन के अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट देय होगी। माना 0 राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबी सिविल रिट सं0 10182/2012 राजरानी बनाम राज. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2012 की पालना में विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं में 5 प्रतिशत छूट देय होगी।
- 6.7 ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने जम्मू एवं कश्मीर से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया है, वे भी राजस्थान राज्य के अन्य अभ्यर्थियों के समान ही पात्र होंगे।
- 6.8 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएँ (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा) अर्जित करना अनिवार्य है।

7. नियुक्ति हेतु निरहीत :-

- राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसके 1.6.2002 को या उसे पश्चात् दो से अधिक संतानें हैं, परन्तु दो से अधिक संतानों वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरहीत नहीं होती है। परन्तु समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या, जो 1 जून 2002 को थी, में वृद्धि न हो। परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्व के प्रसव से एक संतान हो किन्तु किसी पश्चात्वर्ती एकल प्रसव से एकाधिक संतानें जन्म ले लें तो संतानों की कुल संख्या गिनते समय इस प्रकार जन्मी संतानें एक समझी जायेगी।
 - कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पलियाँ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दे।
 - कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी, जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे।
 - यदि अभ्यर्थी – (a) अच्छे चरित्र का नहीं है, या (b) किसी भी अन्य पंचायती राज संस्था या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारण या राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत किया गया है, या (c) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या (d) किसी पंचायती राज संस्था या किसी नगरपालिका का सदस्य है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- नोट – उपरोक्त तथ्यों को छुपाने पर यदि अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह विभागीय/कानूनी कार्यवाही का स्वयं उत्तरदायी होगा।


6/2016

8. नियुक्ति हेतु -

8.1 आयु सीमा :-

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 के अनुसार आयु की दृष्टि से राजकीय सेवा में तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर भर्ती हेतु वहीं अम्यर्थी पात्र होगा जिसकी आयु दिनांक 01.01.2017 को 18 वर्ष से अन्यून हो तथा 35 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया होना चाहिये। परन्तु यह है कि जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो, और यदि कोई अम्यर्थी उस वर्ष आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पश्चात्वर्ती वर्ष में न होने वाले वर्षों के आधार पर अधिकतम 3 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट देय होगी।

निम्नलिखित श्रेणी के अम्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय है:-

- i. राजस्थान राज्य के अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व. के पुरुष अम्यर्थी या सामान्य प्रवर्ग की महिला अम्यर्थी के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
- ii. राजस्थान राज्य की अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व के महिला अम्यर्थी के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
- iii. भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- iv. विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- v. स्पष्टीकरण : उसे विधवा होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और तलाकशुदा होने के मामले में नियमानुकूल तलाक का सबूत देना होगा।
- vi. ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में जो उसकी दोषसिद्धि से पूर्व किसी भी पद पर अधिष्ठायी आधार पर पंचायत समिति व जिला परिषद के अधीन सेवा कर चुका है और इन नियमों के अधीन वह नियुक्ति का पात्र हो उस पर अधिवार्षिकी आयु सीमा तक ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।
- vii. ऐसे भूतपूर्व कैदी जो अपनी दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, कारावास की अवधि के बाबत कालावधि तक नियमानुसार शिथिलन देय है।
- viii. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.03.2014 के अनुसार सामान्य पदों के विरुद्ध आरक्षित वर्ग (राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने आयु एवं शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
- ix. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अम्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
- x. राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का सरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के नियम 39 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग तथा एस.सी./एस.टी. के विशेष योग्यजन अम्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में क्रमशः 10, 13 व 15 वर्ष की छूट देय है।
नोट :- उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 9 तक पर वर्गित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात् अम्यर्थियों को उपरोक्त वर्गित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

8.2 आरक्षण प्रावधान :

- (i) उपरोक्त पदों में अ.जा.0/अ.ज.0.जा.0/नॉन किमीलेयर पि.0व०/नॉन किमीलेयर वि.पि.व./विशेष योग्यजन/भूतपूर्व सैनिकों/उत्कृष्ट खिलाड़ियों/महिलाओं (विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं सहित) व बारां जिले के सहरिया आदिम जाति का नियमानुसार आरक्षण देय होगा। राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर श्रेणी के अम्यर्थियों को इस वर्ष हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अम्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के सभी आवेदक सामान्य अम्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण:-

- (अ) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अम्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.1.2013 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षों के लिये अप्रीनीत किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्षों को उक्त तीन वर्ष की अवधि में संगणित नहीं किया जायेगा।

6/07/11

- (ब) किमीलेयर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा, एक बार किमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किमीलेयर में नहीं है तो ऐसी रिधिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावें, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष में उत्तराधिकारित किया जा सकता है और उसी वर्ष के लिये तथा 2.00 प्रतिशत पद उत्कृष्ट अध्यापक सीधी भर्ती 2016 में 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिये तथा 2.00 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षण दण्डवत होगा एवं अभ्यर्थी जिस प्रवर्ग का है वह उसी में गिना जावेगा।

स्पष्टीकरण:-

(क) भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत संघ की नियमित थलसेना, जलसेना, वायुसेना के किसी भी इंक में, योद्धक या योद्धक-भिन्न के रूप में सेवा की हो और (अ) जो ऐसी सेवा से पेशन के उपार्जित करके सेवानिवृत्त हुआ हो, या (ब) जो ऐसी सेवा से चिकित्सीय आधारों पर, जो ऐसी सेवा के लिये निर्धारित हो या उन परिस्थितियों के कारण, जो उसके नियंत्रण से परे हो, सेवा से निर्मुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सीय या अन्य नियोग्यता पेशन प्रदान की गयी हो, या (स) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा संस्थापन में कटौती के परिणामस्वरूप उक्त सेवा से निर्मुक्त किया गया, या जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा नियुक्ति की विनिर्दिष्ट कालावधि पूर्ण करने के पश्चात या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति की सेवोन्मुक्ति के कारण उक्त सेवा से निर्मुक्त हुआ हो और जिसे अन्यथा संस्थापन दिये गये हो, और इसमें प्रादेशिक थल सेना के लगातार इम्बाडिड (Embodied) सेवानिवृत्ति उपादान दिये गये हो, और इसमें प्रादेशिक थल सेना के लगातार इम्बाडिड (Embodied) सेवा के पेशनधारक, सैन्य सेवा के लिये निर्धारित नियोग्यता वाले व्यक्ति, वीरता पुरस्कार विजेता प्रवर्गों के कार्मिक भी सम्मिलित हैं।

- (ख) "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने:-
 (अ) इण्डियन ओलंपिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या
 (ब) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या
 (स) इण्डियन ओलंपिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या
 (द) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरराष्ट्रिय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

(iii) विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिये :-

- (अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का सरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार निश्चक्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
 (ब) विशेष योग्यजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) होगा अर्थात् अभ्यर्थी जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/वि.पि.व/सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।
 (स) विशेष योग्यजन आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
 (द) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के संबंध में राजस्थान निःशक्तजन एवं आरक्षित पदों के लिये प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निःशक्तता का प्रगाण पत्र 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक को विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा।
 (य) विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिये पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने या किसी भी पर्याप्त कारण के पद भरा नहीं जा सकता हो, वहाँ ऐसी रिधित को अग्रनीत किया जावेगा, परन्तु पद सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा।

Jyoti

- (iv) राजस्थान की पिछड़ा वर्ग (BC)/विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) (नॉन कीमीलेयर) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य वर्ग से भरा जावेगा।
- (v) विज्ञापित शिक्षियों में महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) रखे जाने का प्रावधान है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, उसी में समायोजित किया जावेगा।

स्पष्टीकरण

- अ). किसी वर्ग (सामान्य/अ.जा.0/अ.ज.जा.0/पि.व) एवं वि.पि.व (नॉन क्रीमीलेयर) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से सामान्य प्रक्रियानुसार भरा जा सकेगा। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग केटेगरी में आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदक भरा जा सकेगा। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के नाम निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पि.वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नोन को अपने पिता के नाम निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- ब). महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता (विछिन्न विवाह महिला) के लिये आरक्षित हैं। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को जायेगा। किसी वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./पि.व/विपि.व) की उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। किसी वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./पि.व/विपि.व) की अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला (विछिन्न विवाह महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की/में वरीयता ग्राप्त अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
- स). मुस्तिस परित्यक्ता महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत महिला को समाज के दो करें एवं साथ ही महिला स्वयं को भी इस संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करें एवं साथ ही महिला स्वयं को भी इस संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- (vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, जो राजस्थान राज्य के रथाई निवासी हैं, से ही भरे जावेंगे। राजस्थान राज्य के रथाई निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
- (vii) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.1.2013 के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को लिये अग्रणीत किया जायेगा। यदि भरा नहीं जाकर आरक्षित शिक्षियों को आगामी तीन भर्ती वर्षों के लिये अग्रणीत किया जायेगा। किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्षों को उक्त तीन वर्ष की अवधि में संगणित नहीं किया जायेगा।
- (viii) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।
- (ix) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की कीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (कीमिलेयर एवं नॉन कीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत माने जायेंगे।
- (x) अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व./विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म में प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए, अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जावेगा।

9. आवेदन शुल्क :-

आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोर्सक के माध्यम से जमा करायेंगे।

नोट— (i) राजस्थान राज्य से राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का आवेदक माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित शुल्क देना होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 01.08.2016 है। अतः अन्तिम दिनांक का इत्तजार किये बिना समय सीमा में आवेदन करें।

> लेवल-I अथवा लेवल-II (केवल एक) हेतु

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु — रुपये 100/-

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु — रुपये 70/-

(ग) राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु — रुपये 60/-

नोट:-

- I. यदि कोई अभ्यर्थी दोनों लेवल (प्रथम व द्वितीय) के लिए आवेदन पत्र भरना चाहता है तो प्रथम लेवल व द्वितीय लेवल के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भरा जाना है एवं आवेदन शुल्क भी अलग-अलग देय होगा।
- II. अभ्यर्थी द्वितीय लेवल में अलग-अलग विषय में भर्ती हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे अलग-अलग विषय हेतु पृथक-पृथक आवेदन निर्धारित शुल्क सहित करना चाहता है।
- III. अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करते कि वे इस विज्ञाप्ति के अनु. -9 के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। यदि बिना जांच किए शुल्क जमा कराया जाता है तो इसे वापस नहीं लौटाया जायेगा।
- IV. ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन-पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.education.rajasthan.gov.in/tgtrecruitment से डाउनलोड कर लें। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पूरी सावधानी के साथ भरें। त्रुटि रहित आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन आनलाइन भरे जाने से पूर्व कच्चा आवेदन पत्र भरकर उसे जांचकर अपने साथ रखे।
- V. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जो भाषा, विषय, श्रेणी, जन्मतिथि तथा जिलों की वरीयता का घोषणा किया गया है, उसमें बाद में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

10. भर्ती प्रक्रिया :-

1. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती हेतु वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य होगा। परन्तु राज्य सरकार के अधिसूचना प्रशासन F.7(I)EE/Plan/2011 दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णक (Minimum Passing Marks) अनिवार्य होगा। अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2011 के सम्बंध में उन्हें यह छूट देय नहीं होगी।
2. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) 2015 एवं RTET 2011 व 2012 के तीनों वर्षों की परीक्षाओं के अधिकतम प्राप्तांकों के आधार पर राज्य स्तरीय मैरिट बनाई जायेगी।
3. अभ्यर्थीयों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के आधार पर जिला आवंटन कर जिलेवार सूची नियुक्ति हेतु संबंधित जिला परिषदों को भेजी जायेगी। जिला परिषदों द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता एवं दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात मैरिट के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

6/2016

11. भर्ती हेतु योग्यता सूची (Merit List) की प्रक्रिया :-

1. बिन्दु संख्या 10 के अनुसार पात्रता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता सूची में मेरिट RTET/REET परीक्षाओं के अधिकतम प्राप्तांकों के आधार पर दशमलव के दो अंकों तक तैयार की जायेगी।
2. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) 2015 एवं RTET 2011 व 2012 के तीनों वर्षों की परीक्षाओं के अधिकतम प्राप्तांकों के आधार पर राज्य स्तरीय मैरिट बनाई जाकर अभ्यर्थीयों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के आधार पर जिलेवार सूची तैयार की जाकर नियुक्ति हेतु संबंधित जिला परिषदों को भेजी जायेगी।

नोट:-

समान वरीयता (Merit) प्राप्त करने वाले अर्थात् दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जन्म तिथि तथा प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थी की उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियां समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्व में उत्तीर्ण किये गये वर्ष को प्राथमिकता देते हुए वरीयता निर्धारित की जावेगी।

12.अन्य आवश्यक निर्देश / सूचना

1. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे।
2. जिलेवार विकल्प सूची में शामिल होने के लिये भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP) के लिए 30 जिलों की वरीयता देनी होगी जिलेवार विकल्प आवेदन पत्र में उपलब्ध है। तृतीय श्रेणी अध्यापक का कैंडर जिलेवार होता है।
3. अभ्यर्थियों को उनके द्वारा RTET/REET परीक्षा/परीक्षाओं के नामांक एवं उत्तीर्णक इत्यादि की सूचना आवेदन पत्र में आवश्यक रूप से देनी अनिवार्य होगी।
4. ऑनलाइन फॉर्म भरने की अन्तिम दिनांक को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकें। रात्रि 12 बजे बाद लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। अतः अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना विज्ञप्ति प्रकाशित होने के साथ ही समय सीमा में आवेदन करें।
5. आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही वरीयता सूची बनायी जायेगी। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता की जांच नहीं की गई है, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा।
6. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.06 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
7. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
8. किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में बंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके बंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।

6/27/16

9. सभी आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपकरणों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों, या और सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपकरणों में कार्यरत है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये।

13. अभ्यर्थी को चयन होने पर निम्नांकित प्रारूप में घोषणा एवं शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

13.1 आवेदक द्वारा घोषणा

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री (नाम)
मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- मैंने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के संबंधित भर्ती नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
- मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है। पूर्व आयोजित प्रतियोगी/पात्रता परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- मैं किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है। पूर्व आयोजित (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राज्य बीकानेर में प्रतिवेदन भेजूँगा/भेजूँगी और 30 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यपाही करूँगा/करूँगी।
- (ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर निदेशालय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो निदेशालय को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊँगा/होऊँगी।
- मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 सप्तित (29 जुलाई 2011) के संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 सप्तित (29 जुलाई 2011) के संशोधित निर्देशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशालय द्वारा नियुक्ति की पात्रता रखता / भावना रखती हूँ।
- पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र वैध अवधि का है।
- आवेदन पत्र में कभी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र/पात्रता नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
- मैं डाफनलोड किया हुआ आवेदन-पत्र, घोषणा पत्र, शपथ-पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूँगा/रखूँगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशालय द्वारा जमा करा देंगा/देंगी।
- मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कभी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
- मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि निर्धारित पात्रता प्राप्त होने अथवा योग्यता सूची में शामिल होने से ही मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- मुझे यह जानकारी है कि मैं REET/RTET में पात्रता प्राप्त करने के बावजूद सम्बन्धित शिक्षक पाठ्यक्रम (बी.एस.टी.सी./बी.एड./समकक्ष पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण होने पर ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती हेतु पात्र माना/जाऊँगा/जाऊँगी।
- मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस भर्ती से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है।
- मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

राशन :

दिनांक :

फोन नम्बर या कोड :

मोबाइल नम्बर :

नाम :

पता :

13.2 आवेदक का शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पति श्री उम्र
 जाति निवासी व्यवसाय शपथपूर्वक घोषणा
 करता/करती हूँ कि -

- मैंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 व संशोधित अधिसूचना 29 जुलाई 2011 एवं इस विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं अध्यापक नियुक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता रखता/रखती हूँ।
- मैं निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 के खण्ड (द) में सन्दर्भित स्कूलों में अध्यापक के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएँ रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा भरे आवेदन-पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या इन्हें शपथ-पत्र दिया गया है तो मैं राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊँगा/मानी जाऊँगी।
- मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिये किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है।
- किसी गलती या विवाद की स्थिति में, मैं अपना प्रतिवेदन निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राज्य बीकानेर को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। 30 दिन तक भी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने के बाद ही न्यायालय में न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूँगा/करूँगी।
- मेरे मूल दस्तावेजों का सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जावेगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कभी अथवा कोई तथ्य गलत पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
- मैं इस तथ्य से भली-भाँति अवगत हूँ कि भर्ती हेतु मेरिट लिस्ट में शामिल होना भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड है। भावतः इस कारण से मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम :

स्वसत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री/पति श्री उम्र जाति
 निवासी व्यवसाय सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ-पत्र में
 अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम :

मोबाईल नम्बर :

13.3 आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची

सीधी भर्ती में अर्थात् यों से अपने मूल औनलाईन आवेदन-पत्र, घोषणा-पत्र तथा शपथ-पत्र एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां जमा करवाई जाएंगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से यथासमय प्रकाशित करवा दी जाएगी।

क्र.सं.	दस्तावेज/प्रमाण-पत्र का नाम	संलग्न सं.
1	मूल आवेदन-पत्र	
2	घोषणा-पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
3	शपथ-पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
4	सेकण्डरी / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
5	सीनियर सेकण्डरी / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
6	स्नातक / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
7	बीएसटीरी / बी.एड. / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
8	मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।	

9	जाति प्रमाण—पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित क्षेत्र जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की प्रमाणित प्रति। नोट :- अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए वैयक्तिक प्रमाणित पत्र हो।	
10	शारीरिक विकलांगता प्रमाण—पत्र (सकाम अधिकारी से प्रमाणित प्रति) (Under Clasuse (1) of section 2 of the Persons with disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act. 1995)	
11	विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ—पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति।	
12	तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति।	
13	अभ्यर्थी के वर्तमान में उपरोक्त शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने का प्रमाण—पत्र (संरथा प्रधान द्वारा जारी)	
14	RTET –2011 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो)	
15	RTET –2012 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो)	
16	REET 2015 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो)	
कुल संलग्नकों की संख्या		

अभ्यर्थियों के दिशा निर्देशों हेतु हैल्प-लाइन तथा ई-मेल की सुविधा :

अभ्यर्थी अपने आवेदन के विषय में किसी भी प्रकार के मार्ग दर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में 10 से 5 बजे के मध्य, निदेशक प्रारूपशिक्षा राजीवीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं अथवा हैल्पलाइन नं 0151-2207047 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

निदेशक प्रारूपशिक्षा